

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं: 0141-2711978, 2711938

क्रमांक: प. 111/नि.अ.मा.वि./अनु. छात्रा./सत्र 2018-19/पार्ट 1/ 8535

जयपुर, दिनांक: 20/8/19

आदेश

अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अल्पसंख्यक छात्र व छात्राओं के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं/स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से अनुदानित छात्रावासों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों की संबंधित गठित जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन समिति के द्वारा उपयुक्तता की जाँच कराये जाने एवं उनके द्वारा की गई अभिशप्ता के आधार पर निम्नवत् जिला मुख्यालयों/अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में उनके सम्मुख अंकित स्वयंसेवी संस्थाओं/स्वैच्छिक अभिकरणों को अल्पसंख्यक बालक/बालिका छात्रावास संचालन की सत्र 2019-20 की अवधि हेतु अस्थाई स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुदानित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास					विशेष विवरण
क्र. सं	जिला मुख्यालय /अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयं सेवी संस्था का नाम	छात्रावास संचालन का स्थान	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता	
1	अलवर (जिला)	Center for Development Communication and Studies 133, Devi Nagar, Nannu marg, New Sanganer Road, sodala, jaipur 302019, 0141-2295533	बरख्तल की चौकी, दिल्ली रोड, अलवर	बालक/25 बैड्स	—
2	किशनगढ़बास (ब्लॉक)	मेवात बाल विकास शिक्षण समिति नगर, भरतपुर 9928459530	श्रीमती हरदेई भवन, किशनगढ़बास	बालक/25 बैड्स	—
3	बारां (जिला)	गुरु कृपा बाल विद्या मंदिर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान पी.ओ. बारां 8239811629	माथना तिराहा मांगरोल रोड बारां	बालक/50 बैड्स	—
4	बाडमेर (जिला)	सिन्धी मुस्लिम हॉस्टल सोसायटी, बाडमेर 9982523355	सिन्धी मुस्लिम हॉस्टल, बाडमेर	बालक/50 बैड्स	—
5	भरतपुर (जिला)	पंचौली शिक्षा समिति मई, भरतपुर अग्रसेन स्कूल के सामने राधानगर गोलपुरा रोड, भरतपुर 7976138985	राधा नगर मथुरा बाईपास, भरतपुर	बालक/50 बैड्स	—
6	नगर (ब्लॉक)	राजस्थान रूरल डवलपमेन्ट सोसायटी झीतरैडी नगर, अलवर रोड, नगर 8209184173	अलवर रोड, नगर	बालक/40 बैड्स	—

any

7	पहाड़ी (ब्लॉक)	सरिस्का सेवा संस्थान, रायसिंहपुरा, राजगढ़, अलवर 9413304245	गजराज सिंह आर. टी.ओ. के मकान में पहाड़ी	बालक / 25 बैडेड	—
8	छत्तरगढ़ (ब्लॉक)	मरु विकास एवं पर्यावरण सुधार संस्थान 9 / 179 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर 9928672786	जामा मरिजद के पास छत्तरगढ़	बालक / 30 बैडेड	—
9	खाजुवाला (ब्लॉक)	जगदम्बा विकास एवं शैक्षणिक संस्थान, खाजुवाला, बीकानेर 9413278168	जगदम्बा पी.जी. कॉलेज के पास, खाजुवाला	बालक / 25 बैडेड	—
10	चुरु (जिला)	डॉ. जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान, डीटीओ ऑफिस के पास, जयपुर रोड, चुरु, 8005518546	डीटीओ ऑफिस के पास जयपुर रोड, चुरु	बालक / 50 बैडेड	—
11	दौसा (जिला)	माया ज्ञान विकास सेवा संस्थान, दौसा 9782520103	प० नवल किशोर शर्मा महाविद्यालय परिसर, आगरा रोड दौसा	बालक / 50 बैडेड	स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि भवन के किरायेनाम संबंधी सहमति पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत किया जावे। संबंधित DMWO इस सुनिश्चित करने के उपरान्त ही MOU करें।
12	हनुमानगढ़ (जिला)	गुरु गोविन्द सिंह पब्लिक सी. सै. स्कूल वार्ड नं. 8 सेक्टर 12, हनुमानगढ़ 9414950038	वार्ड नं. 08 सेक्टर नं. 12 हनुमानगढ़	बालक / 50 बैडेड	—
13	टिब्बी (ब्लॉक)	श्री सिद्धि विनायक शिक्षण संस्थान वार्ड नं. 23 टिब्बी, हनुमानगढ़ 9413378652	टिब्बी (हनुमानगढ़)	बालक / 50 बैडेड	—
14	जयपुर (जिला)	सहयोग सामाजिक संस्थान, 86, पदमविहार चोखी ढाणी, टोंक रोड, जयपुर, 9314874064	म.नं. 14, बड़ी का बास, पदम विहार के पास चौखी ढाणी, टोंक रोड, जयपुर	बालक / 25 बैडेड	—
15	जैसलमेर (जिला)	मदरसा कादरिया फ़ैजे सिकन्दरिया संस्थान ढिब्बा पाड़ा जैसलमेर, 9413090776	ढिब्बा पाड़ा, जैसलमेर(राज.)	बालक / 50 बैडेड	—
16	करौली (जिला)	श्री बालाजी जन सेवा संस्थान महवा रोड, झण्डू का पुरा, हिण्डौन सिटी करौली, 9414832584	महवा रोड, झण्डू का पुरा, हिण्डौन सिटी करौली, 9414832584	बालक / 35 बैडेड	—
17	नागौर (जिला)	आस्था सेवा संस्थान, खान मार्केट, गांधी चौक, नागौर, 8769743025	मदरसा हन्फिया सूफिया के पीछे गांधी चौक नागौर	बालक / 45 बैडेड	—
18	प्रतापगढ़ (जिला)	पन्नाधाय विकास संस्थान, प्रतापगढ़, 9530125801	बुडलैण्ड पार्क के सामने, प्रतापगढ़	बालक / 30 बैडेड	—
19	श्रीगंगानगर (जिला)	मैनेजिंग कमेटी श्री गुरुनानक खालसा कॉलेज एवं स्कूल, श्रीगंगानगर, गेट नं. 3, हिन्दुमलकोट रोड, तीन पुली, श्रीगंगानगर 9413288052	बालक छात्रावास भवन श्री गुरुनानक सी.सै. स्कूल, श्रीगंगानगर	बालक / 50 बैडेड	—

amg

20	अनुपगढ़ (ब्लॉक)	श्री गुरुनानक पब्लिक शिक्षा समिति, 88 जीबी, अनुपगढ़ गांव 88 जीबी पी.ओ. 90 जीबी, अनुपगढ़ 9887425909	जीनियस पब्लिक स्कूल के सामने कुए के पास, अनुपगढ़	बालक / 20 बैड्डेड	—
21	पदमपुर (ब्लॉक)	टैगोर शिक्षा समिति, नई मण्डी, घड़साना सरवी रोड, 3 STR नई मण्डी, घड़साना 8104561245	कवीर चौक, धानमण्डी रोड नई मण्डी, घड़साना	बालक / 35 बैड्डेड	—
22	सवाई माधोपुर (जिला)	दृढ़ संकल्प संस्था, जवाहर नगर, वार्ड नं. 39, सवाई माधोपुर	जवाहर नगर, वार्ड नं. 39, सवाई माधोपुर	बालक / 25 बैड्डेड	—
23	टोंक (जिला)	रेड रोज एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, पांच बत्ती बावडी टोंक-304001, 9214072422	लक्ष्मी मेडिकल के सामने, मेहन्दी बाग, टोंक-304001	बालक / 35 बैड्डेड	—

अनुदानित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास					विशेष विवरण
क्र. सं.	जिला मुख्यालय / अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक का नाम	स्वयं सेवी संस्था का नाम	छात्रावास संचालन का स्थान	छात्रावास का प्रकार एवं छात्रावास की स्वीकृत क्षमता	
1	किशनगढ़बास (ब्लॉक)	यंग वेल फेयर सोसायटी, नूर नगर, मौ0 स्वामी बाड़ा, तिजारा, अलवर 9887985621	रैणी मौहल्ला, किशनगढ़बास	बालिका / 25 बैड्डेड	स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा चार दीवारी एक माह में बना ली जाये। संघटित DMWO इसे सुनिश्चित करेगा।
2	लक्ष्मणगढ़ (ब्लॉक)	श्री करणी मां शिक्षा समिति, उछर, लक्ष्मणगढ़ 9672494400	मालखेड़ा रोड, बावडी पेट्रोल पम्प के सामने, लक्ष्मणगढ़	बालिका / 25 बैड्डेड	स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा चार दीवारी एक माह में बना ली जाये। संघटित DMWO इसे सुनिश्चित करेगा।
3	रामसर (ब्लॉक)	दारुल उलूम फैजे गोसिया संस्थान, खारची, तह. रामसर, जिला- बाड़मेर 9571591387	वी.पी. खारची तह. रामसर, जिला बाड़मेर (राज.)	बालिका / 20 बैड्डेड	—
4	भरतपुर (जिला)	पंचौली शिक्षा समिति मई, भरतपुर बी-173 जवाहर नगर भरतपुर 7976138985	बस स्टैंड, सुभाष नगर, भरतपुर	बालिका / 50 बैड्डेड	—
5	कामां (ब्लॉक)	संकल्प शिक्षा समिति नगर 9828674439	सूरज बाग कॉलोनी, कामां	बालिका / 25 बैड्डेड	—
6	नगर (ब्लॉक)	अर्चना विद्या मंदिर संस्थान खेड़ी देवी सिंह नदबई, खेड़ली रोड, नगर 8769239789	खेड़ली रोड, नगर	बालिका / 50 बैड्डेड	—
7	पहाड़ी (ब्लॉक)	सरिस्का सेवा संस्थान, रायसिंहपुरा, राजगढ़, अलवर	बस स्टैंड के पास पहाड़ी	बालिका / 30 बैड्डेड	—

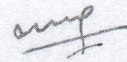
amp

8	बीकानेर (जिला)	जय भीम संस्थान, बीकानेर नत्थूसर गेट के बाहर, बीकानेर, 9252128005	तैयब मस्जिद के पास गजनेर रोड बीकानेर	बालिका / 30 बैड्डेड	स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा चार बीवारी एक माह में बना ली जाये। संबंधित DMWO इसे सुनिश्चित करे।
9	छत्तरगढ़ (ब्लॉक)	श्री प्रियदर्शनी पब्लिक स्कूल, संस्था सागर, बीकानेर 8890817786	जामा मस्जिद के पास, किले के पास, छत्तरगढ़	बालिका / 20 बैड्डेड	—
10	खाजुवाला (ब्लॉक)	गावणियार थार लोक कलाकार समिति, उरमूल भवन, बस स्टैण्ड के पास, बीकानेर 9413134396	सी.ओ. ऑफिस के सामने, खाजुवाला, बीकानेर	बालिका / 35 बैड्डेड	—
11	दौसा (जिला)	माया जन विकास सेवा संस्थान, दौसा 9782520103	रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे, आगरा रोड, दौसा	बालिका / 40 बैड्डेड	—
12	करौली (जिला)	रॉयल शिक्षण एवं विकास संस्थान करौली 9352908292	रॉयल शिक्षण एवं विकास संस्थान, न्यू बस स्टैण्ड, करौली, 9352908292	बालिका / 25 बैड्डेड	—
13	प्रतापगढ़ (जिला)	तरुण सेवा संस्थान, प्रतापगढ़, 7568971979	गौतम नगर, प्रतापगढ़	बालिका / 25 बैड्डेड	—
14	श्रीगंगानगर (जिला)	कैम्पस पब्लिक स्कूल समिति, श्रीगंगानगर, 49 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर 7014021759	49 सेतिया कॉलोनी, खेतरपाल मन्दिर के नजदीक, श्रीगंगानगर	बालिका / 40 बैड्डेड	—
15	विजय नगर (ब्लॉक)	मैपल शिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर, वार्ड नं. 14, मकान नं. 319, पुरानी आबादी 8278639520	वार्ड नं. 09, प्रवीण नागपाल का पुराना मकान, श्री विजयनगर	बालिका / 20 बैड्डेड	—
16	अनुपगढ़ (ब्लॉक)	श्री गुरुनानक पब्लिक शिक्षा समिति, 88 जीबी, गांव 88 जीबी पी.ओ. 90 जीबी, अनुपगढ़ 9887425909	वार्ड नं. 23 अनुपगढ़	बालिका / 35 बैड्डेड	—
17	सवाई माधोपुर (जिला)	नवयुवक ग्रामीण विकास सेवा समिति बहाली राजगढ़, अलवर 7300250401	महाराणा प्रताप कॉलोनी प्लॉट नं. 98 बजरिया सवाई माधोपुर	बालिका / 20 बैड्डेड	—
18	टोंक (जिला)	विवेक विद्या निकेतन शिक्षा समिति, विवेक विद्या आदर्श नगर देवली रोड, टोंक-304001 9887140960	आदर्श नगर, देवली रोड टोंक-304001	बालिका / 50 बैड्डेड	—

amp

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली एवं छात्रावास योजना से संबंधित आदिनांक तक जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अन्तर्गत उक्त आदेश की पालना में संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था के द्वारा निम्नांकित कार्य भी सम्पन्न करने होंगे:-

1. चयनित स्वयंसेवी संस्था को संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में रुपये 500.00 के नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध (MoU) 05 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।
2. चयनित स्वयंसेवी संस्था को अनुबंध (MoU) हस्ताक्षरित करने के साथ-साथ ही धरोहर राशि के रूप में रुपये 30,000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट/डिमार्न्ड ड्रॉफ्ट संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम से जारी करवाकर उनके कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।
3. चयनित स्वयंसेवी संस्था (प्रथम पक्ष) को राज्य सरकार की स्वीकृत दरों एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की छात्रावास नियमावली के अनुसार संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (द्वितीय पक्ष) से अनुबंध करना आवश्यक होगा और अनुबंध की शर्तों की पालना करने/कराने का उत्तर दायित्व संबंधित दोनों पक्षों का होगा।
4. स्वीकृत अनुदानित छात्रावास में अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश छात्रावास नियमावली/आदेश के तहत जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के आधार पर ही दिया जाना आवश्यक होगा। जिला प्रवेश समिति की अभिशंषा के पश्चात् अनुमोदित सूची संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संस्था को कार्यालय प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जावे, जिसके आधार पर ही संबंधित संस्था प्रवेशार्थियों को छात्रावास में रख सकेगी।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास का संचालन विभागीय छात्रावास नियमावली के तहत निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुसार निश्चित समय पर प्रारम्भ करने का सम्मिलित दायित्व होगा।
6. चयनित स्वयंसेवी संस्था को विभाग की छात्रावास नियमावली के तहत छात्रावास संचालन से संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में समस्त निर्धारित रिकार्ड का संधारण करना अनिवार्य होगा।
7. अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा समय-समय पर छात्रावास से संबंधित जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों का भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देशन में छात्रावास संचालक संस्था को पालना करनी आवश्यक होगी।
8. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की जिन भवनों में सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण नहीं है, को एक माह की अवधि में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्रावास भवन के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाकर विभाग की ओर से प्रदत्त समस्त सुविधाओं को उल्लेखित करेंगे ताकि छात्र/छात्राओं व उनके परिजनों को उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हो सके।
10. संस्था द्वारा छात्रावास संचालन से पूर्व आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
11. छात्रावास संचालन के दौरान यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से संचालक बीच सत्र में छात्रावास संचालन नहीं कर पाता है तो नियमानुसार संचालक को एक माह पूर्व विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा तथा स्वीकृति पश्चात ही छात्रावास बंद किया जा सकेगा अन्यथा पूरे शैक्षणिक सत्र में छात्रावास का संचालन संस्था द्वारा किया जावेगा। बीच सत्र में बिना किसी सूचना एवं स्वीकृति के संचालक छात्रावास का संचालन नहीं करता है तो धरोहर राशि जब्त कर संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।



12. विभागीय अधिकारियों अथवा जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर प्रथम बार में संस्था को एक सप्ताह में सुधार हेतु नोटिस दिया जावे, दूसरी बार अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार मासिक देय भुगतान राशि में से 10 प्रतिशत की पेनेल्टी काटकर संख्या के अनुरूप भुगतान संस्था को किया जायेगा। तीसरी बार अनियमितता पाये जाने पर संस्था से एम.ओ.यू. रद्द कर ब्लैक लिस्टेड करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. सत्र 2019-20 की अवधि में अनुमोदित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र/धरोहर राशि प्रस्तुत नहीं किये जाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं को जारी किये गये स्वीकृति आदेश स्वतः ही निरस्त/अप्रभावी समझे जावें।

[Signature]
20.8.2019
(डॉ. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक: प. 111/नि.अ.मा.वि./अनु. छात्रा./सत्र 2018-19/पार्ट 1/ 8536-600

जयपुर, दिनांक: 20/8/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर अलवर/बारां/बाड़मेर/भरतपुर/बीकानेर/चुरू/दौसा/हनुमानगढ़/जयपुर/जैसलमेर/करौली/ नागौर/प्रतापगढ़/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/टोंक।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
9. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान जयपुर।
10. जिला अल्पसंख्यक, कल्याण अधिकारी, अलवर/बारां/बाड़मेर/भरतपुर/बीकानेर/चुरू/दौसा/हनुमानगढ़/जयपुर/जैसलमेर/करौली/नागौर/प्रतापगढ़/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/टोंक को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय निर्देशों की पालना करते हुये तत्काल छात्रावास संचालित किया जाये तथा छात्रावास शुरू करने की रिपोर्ट तत्काल विभाग को प्रेषित करें।
11. चयनित स्वयंसेवी संस्था/स्वैच्छिक अभिकरण ----- को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सूचना सहायक को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
20.8.19
(सुशील कुमार)
सहायक निदेशक प्रथम